राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2)शिक्षा–2/2008 जयपुर, दिनांक : 16.10.12

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : दिनांक 20.01.2006 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की प्रोबेशनरी ट्रेनी के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में मार्ग–दर्शन प्रदान करने बाबत।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/पीएफ/अर्धन्यायाभाई/ दिनांक 13.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 20.01.2006 से पूर्व राज्य सेवा में कार्यरत कार्मिक की 'प्रोबेशनरी ट्रेनी' के रूप में नियुक्ति पर प्रोबेशन काल में अवकाश के संबंध में 'वित्त विभाग' द्वारा निम्नानुसार राय/टिप्पणी दी गई है : –

1. 'राजस्थान सेवा नियम, 1951' के नियम–122–ए के प्रावधानों के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी परिवीक्षा अवधि में अवकाश अर्जित नहीं करेगा। अतः प्रोबेशनर ट्रेनी, जो पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे, वे भी परिवीक्षा अवधि के अवकाश अर्जित नहीं करेंगे।
2. नवनियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनी को पूर्व में राज्य सरकार की नियमित सेवा के दौरान अर्जित एवं शेष अवकाश के उपभोग करने की अनुमति दिये जाने का निर्णय सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
3. पूर्व सेवा में अर्जित अवकाश का उपभोग करने की अनुमति यदि नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो ऐसे अवकाश के कारण परिवीक्षा अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उक्त राय/टिप्पणी वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या–221201396 दिनांक 12.10.2012 के द्वारा प्राप्त कर प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

(signature) 16/10/12

शासन उप सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner